

- आदेश -

उपरोक्त प्रार्थियों ने मेरे समक्ष उपस्थित होकर उपरोक्त प्रकार अभिलेख दुरस्ती हेतु निवेदन किया है एवं इस दुरस्ती को करने हेतु सहमति लिखित में दी गयी है। उप तहसीलदार द्वारा भी सहमति व्यक्त की गई है। उक्त दुरस्ती वस्तुतः लिपिकीय त्रुटि सुधार की संज्ञा में आती है। अंकित इन्द्राज दुरस्ती परस्पर सहमति से किये जाने हेतु प्रार्थीगण ने प्रार्थना की है तथा अभिलेख के आधार पर भी उक्त इन्द्राज दुरस्ती राजस्व अभिलेख में होने योग्य है। अतः निम्नलिखित इन्द्राज दुरस्ती किये जाने के आदेश दिये जाते हैं:-

पूर्व इन्द्राज					स्वीकृत किया गया इन्द्राज		
1	2	3	4	5	6	7	8
ग्राम का नाम	खसरा संख्या	खातेदार का नाम	खसरा संख्या	रकबा	खातेदार का नाम	खसरा संख्या	रकबा
51921	384	मदन पुत्र	543	3.04	मदनलाल	543	3.04
		अमन कौम	545	4.67	पुत्र	543	4.67
		भाई साठके			मदनलाल		
		शेष रवाना			गति भाई		
		अमकनी बाग			शेष रवाना		
					अमकनी बाग		

क्रमांक :- 165

प्रतिनिधि पालमार्थ :-

1. उप तहसीलदार, मौलासर

शिविर प्रभारी
शिविर प्रभारी
(आतिथिजनिक कलेक्टर, डीडबना)
PGKSA-2021, पं.स. मौलासर
दिनांक :- 12/10/21

क्रमांक :-

प्रतिनिधि पालमार्थ :-

उपरोक्त दस्तावेज को भेजकर लेख है कि अन्य न्यायालय का स्थगन नहीं हो तो निर्णयानुसार कार्रवाई सुनिश्चित करें।

शिविर प्रभारी
शिविर प्रभारी
(आतिथिजनिक कलेक्टर, डीडबना)
PGKSA-2021, पं.स. मौलासर
दिनांक :-

उप तहसीलदार, मौलासर